सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 239/21 **दिनांक- 24 मई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

60 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, 1 किग्रा यूरिया व 250 ग्राम फिटकिरी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब का निष्कर्षण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में दिनांक 23-05-21 को उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह थाना महराजगंज मय हमराह हे0का0 रमेश कुमार व हे0का0 संतोष कुमार यादव द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु कटान बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखविर सूचना मिला कि ग्राम महेशपुर जाने वाले पक्का सड़क पर बने गेट के पास 03 व्यक्ति 20-20 लीटर के जरिकेनों में अवैध अपमिश्रित शराब बेचने के लिये लेकर बैठे है। जिसकी तिव्रता बढाने के लिये उसमें यूरिया और फिटकिरी मिलाकर बेचते है। इस सूचना पर उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह हमराहीयानों को सूचना से अवगत कराते हुए मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुचे कि उक्त व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगे । पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर एक व्यक्ति को समय करीब 21.30 बजे पकड़ लिया गया तथा दो व्यक्ति मौके से उँची – नीची भूमि की फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जोगिन्दर यादव उर्फ जोगी यादव पुत्र बुझ्झा यादव निवासी देवारा जदीद (गोइठापुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके से पास में रखे तीन जरिकेनो में 20-20 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब व पालीथीन में यूरिया व फिटकिरी बरामद हुआ। भागने वाले अभियुक्तो का नाम पता पुछने पर उसने उनका नाम क्रमशः 1. राम सिंह यादव पुत्र लाल साहब यादव निवासी जजमनजोत थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. रामपति यादव पुत्र बाढ़ू यादव निवासी चेरा कटघरा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। जरिकेनों की ढ़क्कन खोलकर सूँघा गया तो कच्ची शराब की महक आ रही है । बरामद शराब के बारे में पुछने पर उसने बताया कि हमलोग साथ मिलकर यह धन्धा करते है। हमलोग यूरिया व फिटकिरी मिलाकर शराब की तीव्रता बढा देते है। जिससे बिक्री अच्छी होती है। हम लोग शराब बेचकर बिक्री के पैसे बराबर-बरामद आपस में बाट लेते है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

जोगिन्दर यादव उर्फ जोगी यादव पुत्र बुझ्झा यादव निवासी देवारा जदीद (गोइठापुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. 60 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब

2. एक किलो यूरिया

3. 250 ग्राम फिटकिरी

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 155/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधि) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास-अभि0- जोगिन्दर यादव उर्फ जोगी यादव

1. मु0अ0सं0 151/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।
2. मु0अ0सं0 155/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह हे0का रमेश कुमार , हे0का0 संतोष कुमार यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।